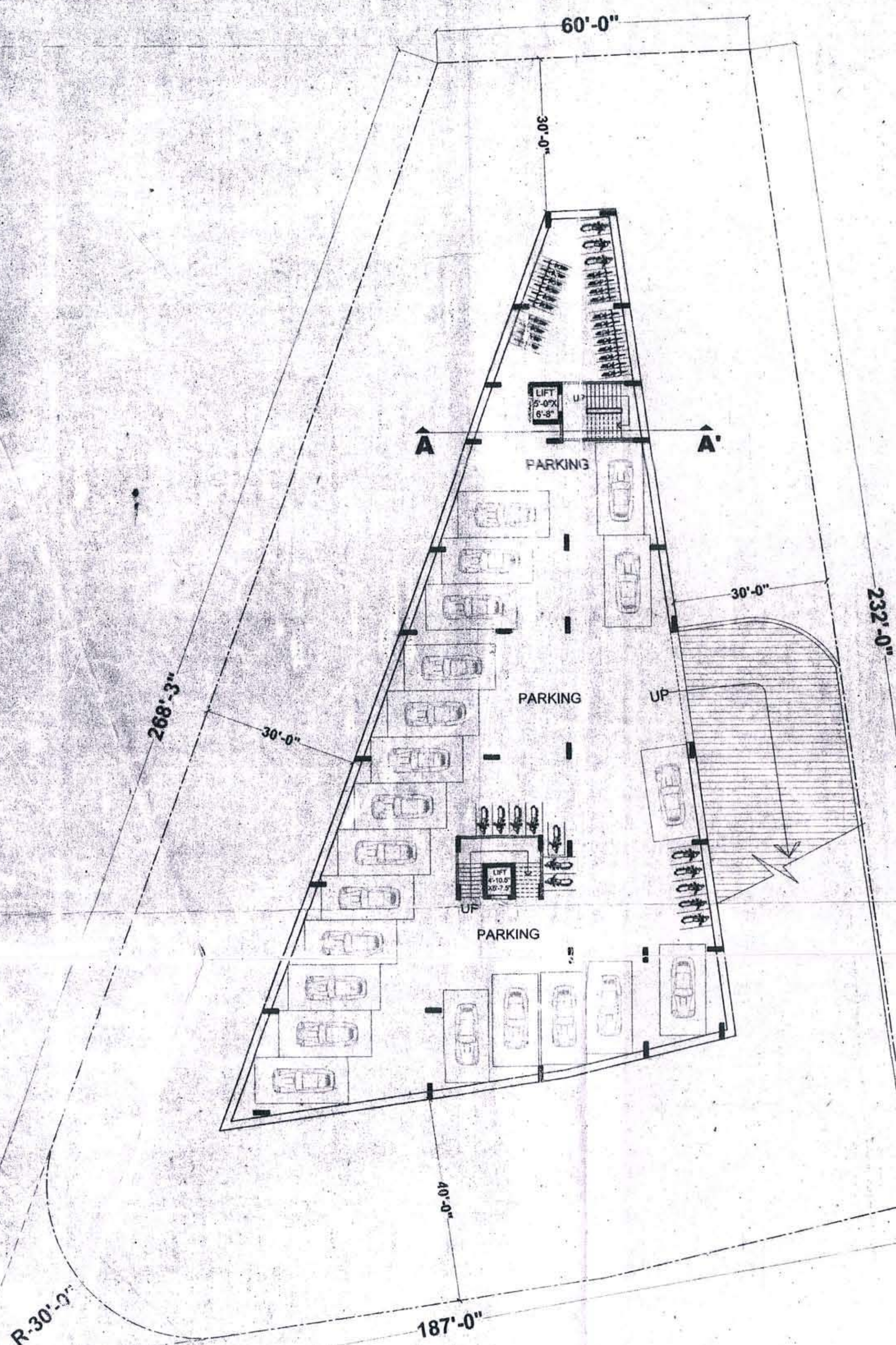
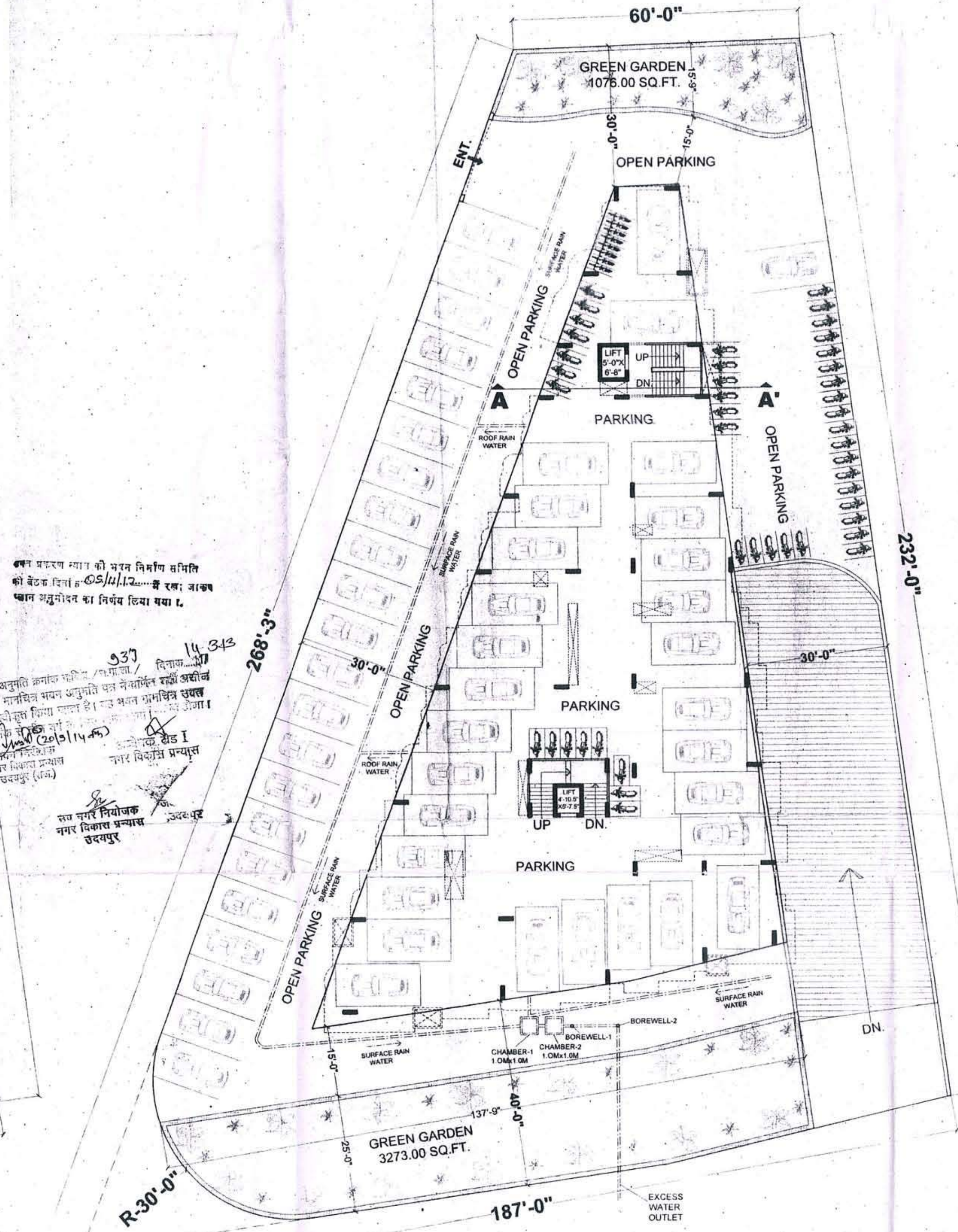
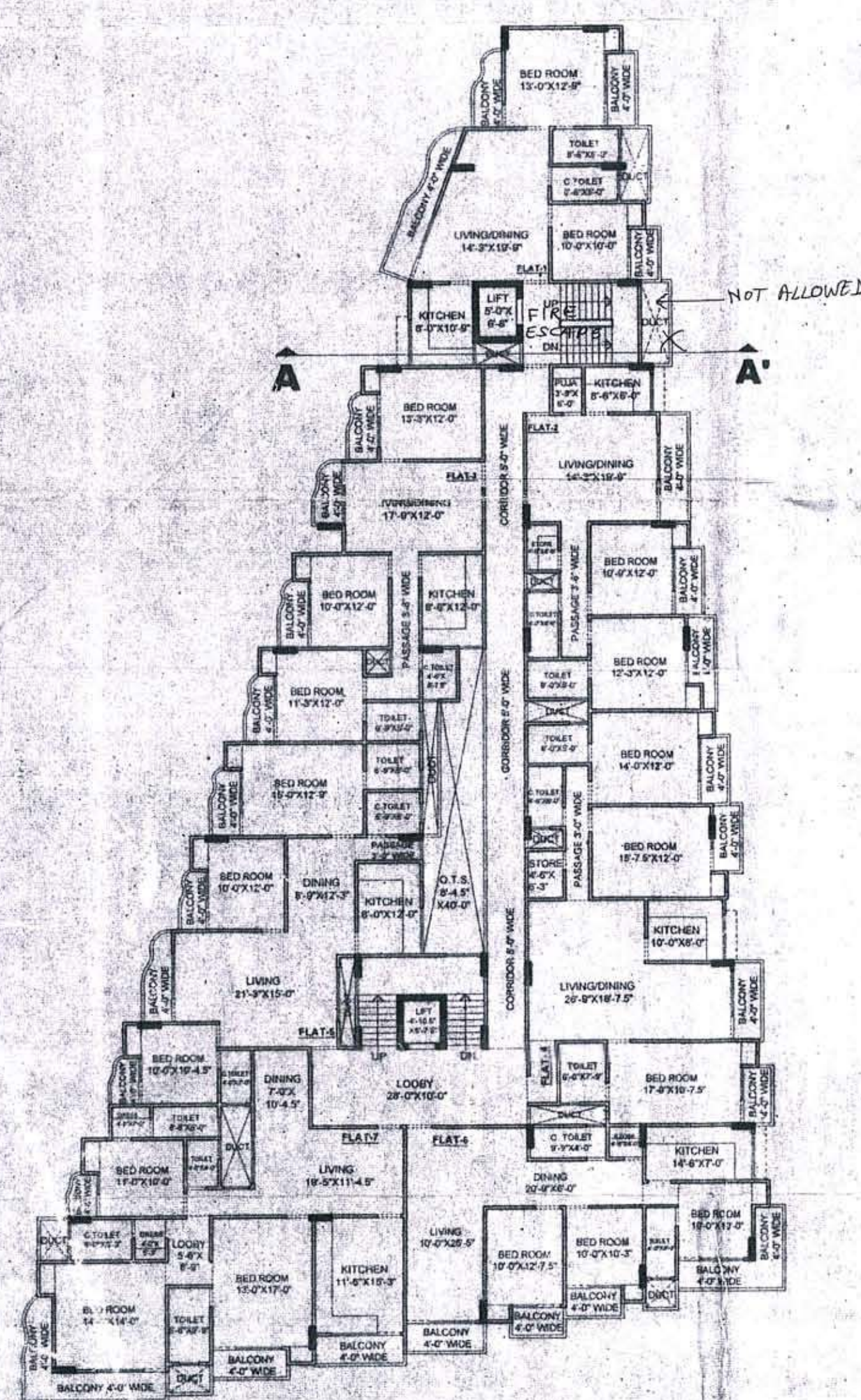




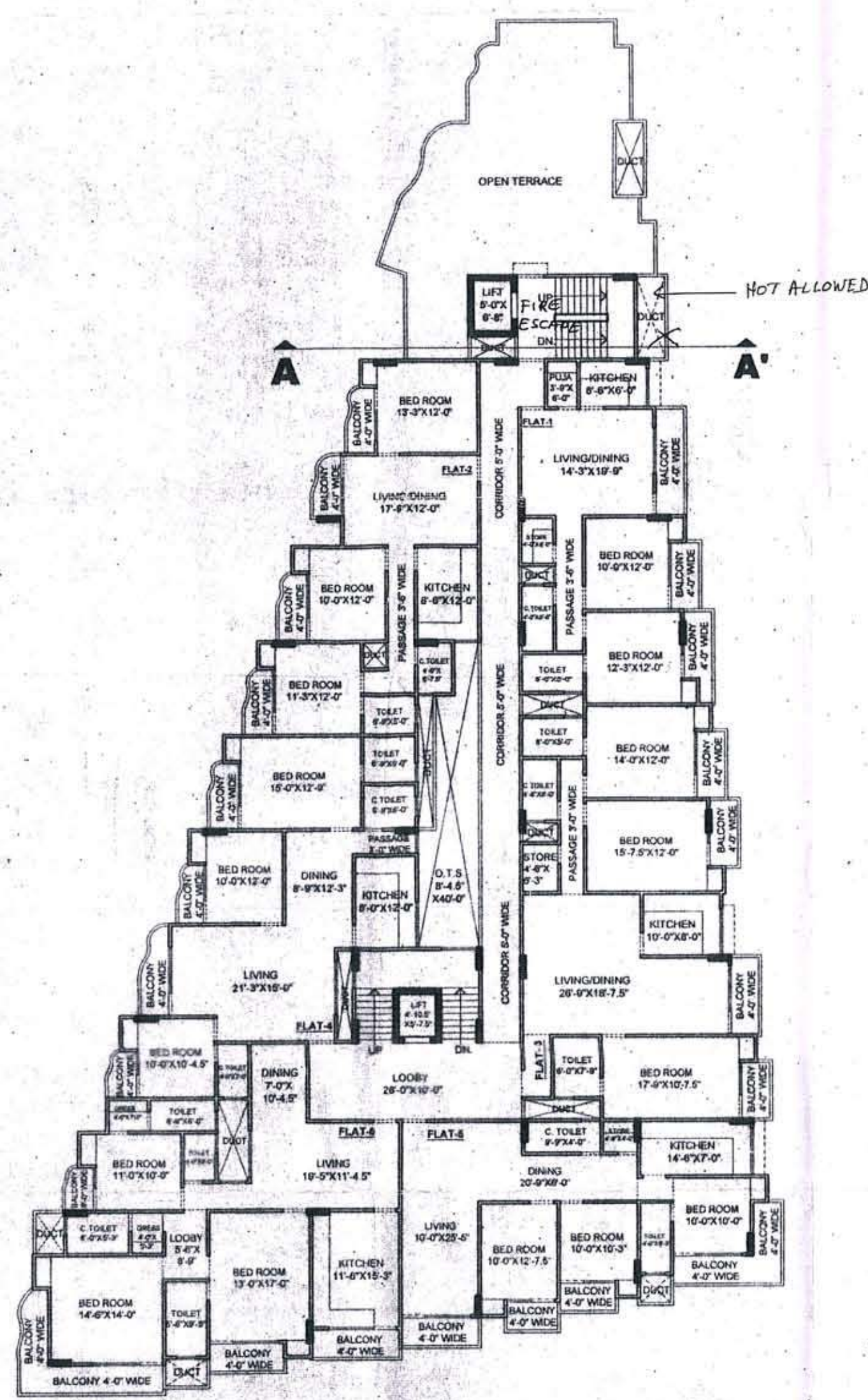
BASEMENT FLOOR PLAN



STILT FLOOR PLAN



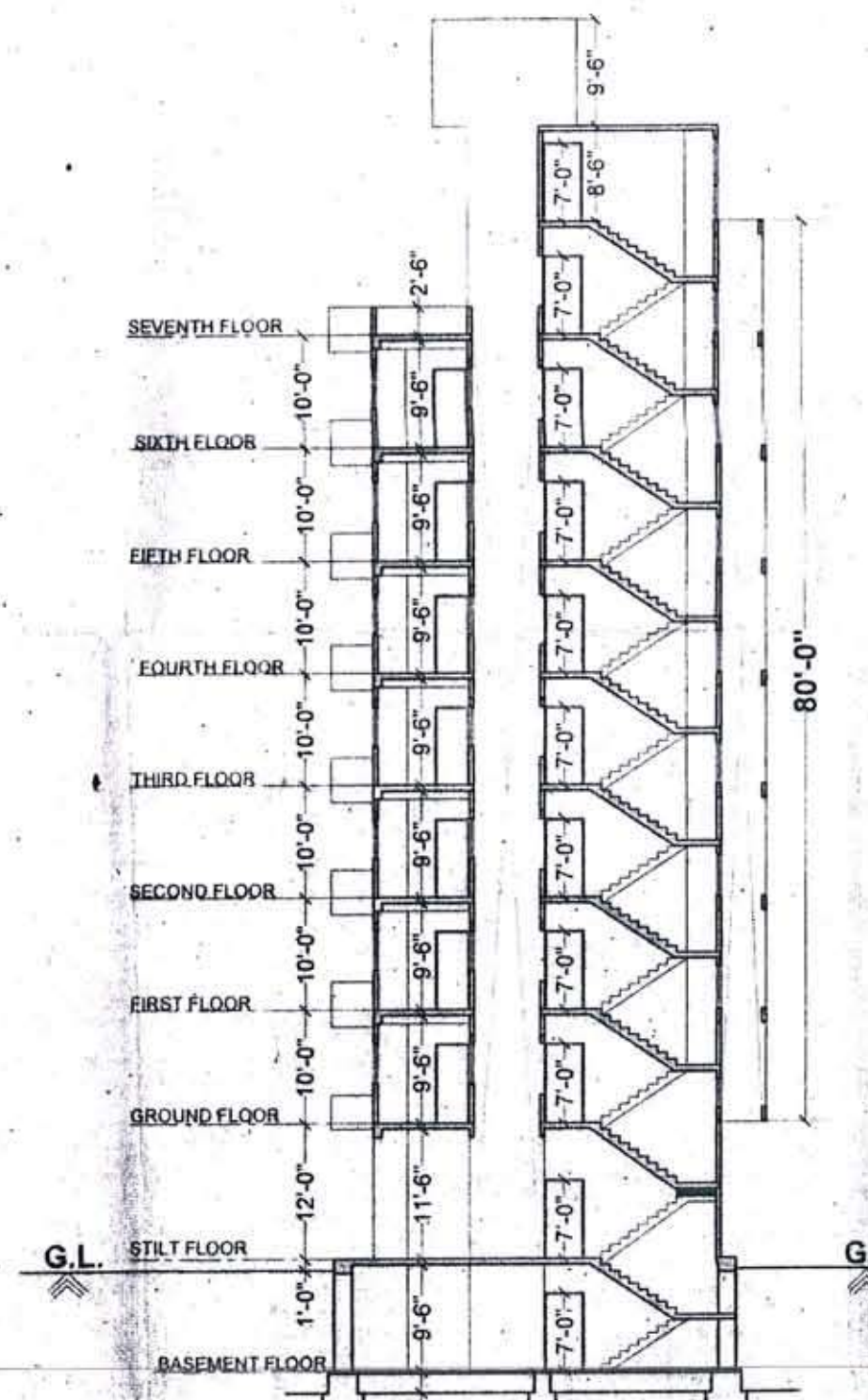
**TYPICAL FLOOR PLAN
(GROUND, FIRST, SECOND,
THIRD, FOURTH, FIFTH &
SIXTH FLOOR)**



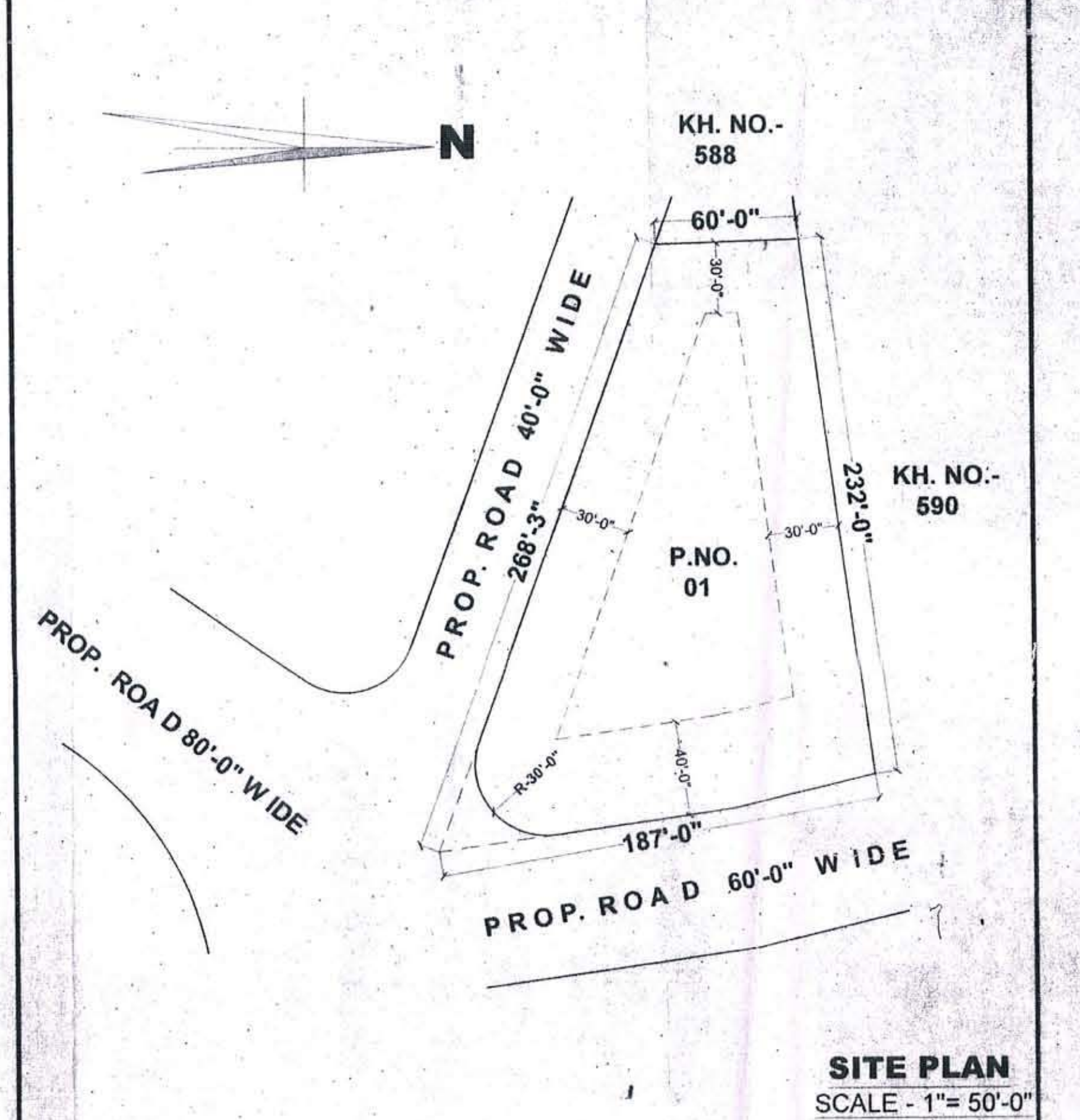
SEVENTH FLOOR



FRONT ELEVATION



SECTION AT A-A'



**SITE PLAN
SCALE - 1"= 50'-0"**

REFERENCE -

PLOT SIZE - AS SHOW IN PLAN - R-30'-0"
PLOT AREA - 28995.00 SQ. FT.
BASEMENT FLOOR COVERAGE AREA = 9605.00 SQ. FT.
STILT FLOOR COVERAGE AREA = 9671.00 SQ. FT. (33.35 %)

1. GROUND FLOOR COVERAGE AREA = 371.00 SQ. FT. (1.28 %)
2. FIRST FLOOR COVERAGE AREA - 7979.00 SQ. FT. (27.52 %)
3. SECOND FLOOR COVERAGE AREA - 7979.00 SQ. FT. (27.52 %)
4. THIRD FLOOR COVERAGE AREA - 7979.00 SQ. FT. (27.52 %)
5. FOURTH FLOOR COVERAGE AREA - 7979.00 SQ. FT. (27.52 %)
6. FIFTH FLOOR COVERAGE AREA - 7979.00 SQ. FT. (27.52 %)
7. SIXTH FLOOR COVERAGE AREA - 7979.00 SQ. FT. (27.52 %)
8. SEVENTH FLOOR COVERAGE AREA - 7206.00 SQ. FT. (24.89 %)
TOTAL AREA - 63059.00 SQ. FT.

F.A.R. = $\frac{63059.00}{28995.00} = 2.17$

REQUIRED CAR UNIT = $\frac{63059.00}{10.76 \times 75} = 78.14$ SAY 78 CAR UNIT
VISITORS PARKING (25 %) = 19.53 SAY 20 CAR UNIT
TOTAL 98 CAR UNIT

BASEMENT CAR UNIT = $\frac{9605.00}{10.76 \times 35} = 24.31$ SAY 24 CAR UNIT
(DEDUCT STAIR & LIFT)

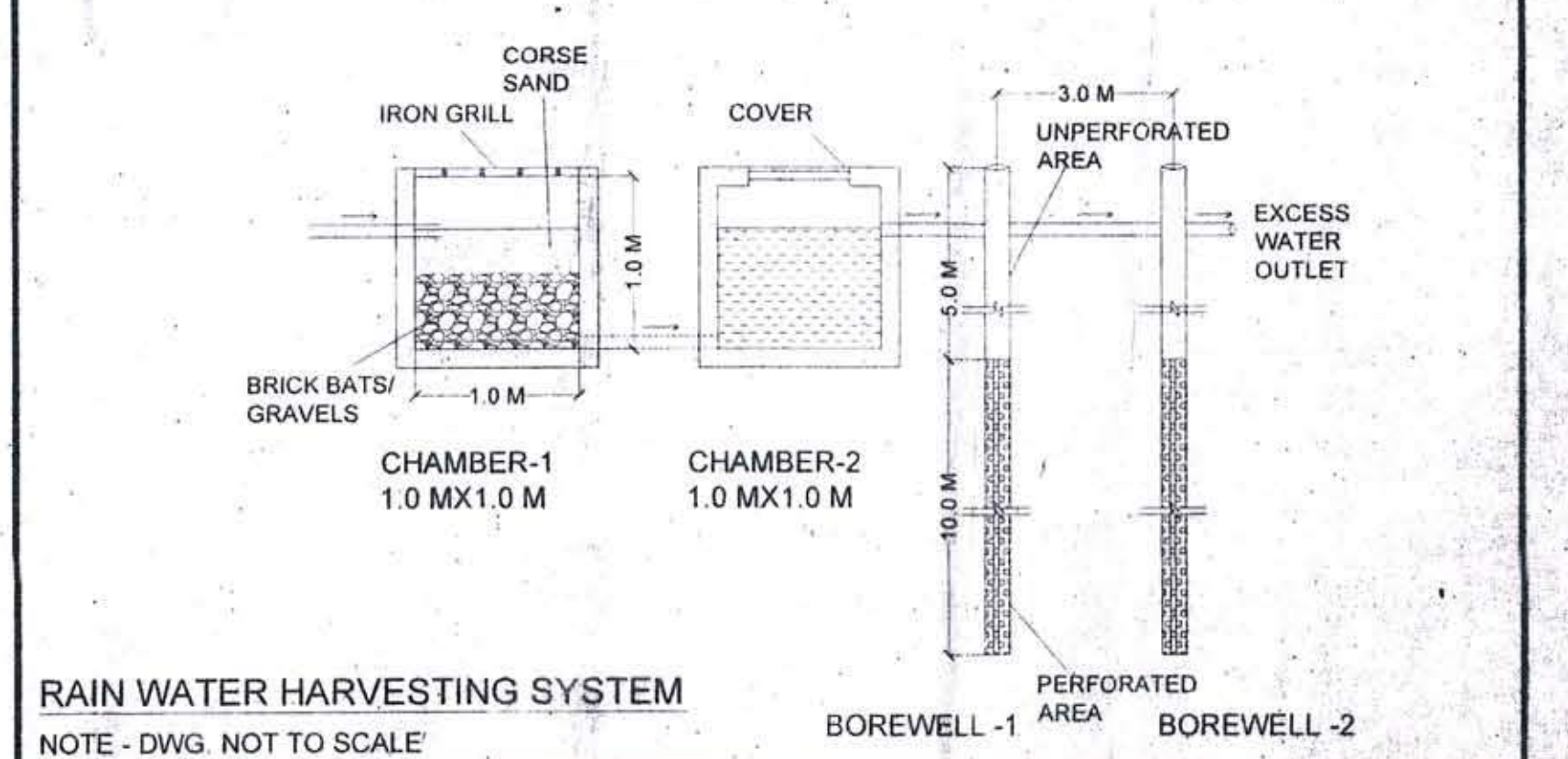
STILT CAR UNIT = $\frac{9671.00}{10.76 \times 30} = 28.57$ SAY 29 CAR UNIT
(DEDUCT STAIR & LIFT)

OPEN CAR UNIT = $\frac{[28995.00 - (9671.00 + 2800.00 + 4349.00)]}{10.76 \times 25} = 45.26$ SAY 45 CAR UNIT
(PLOT AREA - (STILT AREA + RAMP AREA + GARDEN AREA))

TOTAL AVAILABLE CAR UNIT = 24 + 29 + 45 = 98 CAR UNIT
SAY 73 CAR (75%) + 60 MOTOR CYCLE (20%) + 30 CYCLE (5%) = 163 VEHICLE UNIT (100%)
LAND SCAPED GARDEN 15% OF PLOT AREA = 4349.00 SQ. FT.

AREA DETAIL OF DEDUCTION -

NO.	FLOOR	BUILTUP AREA	DEDUCTION AREA				TOTAL	TOTAL F.A.R. AREA
			STAIR-2 NOS. LIFT - 2 NOS.	STORE-3 NOS.	LOBBY & CORRIDOR	O.T.S.-1 NOS. DUCT - 9 NOS.		
1.	GROUND FLOOR	9671.00 SQ. FT.	434.00 SQ. FT.	69.00 SQ. FT.	778.00 SQ. FT.	411.00 SQ. FT.	1692.00 SQ. FT.	
2.	FIRST FLOOR	9671.00 SQ. FT.	434.00 SQ. FT.	69.00 SQ. FT.	778.00 SQ. FT.	411.00 SQ. FT.	1692.00 SQ. FT.	
3.	SECOND FLOOR	9671.00 SQ. FT.	434.00 SQ. FT.	69.00 SQ. FT.	778.00 SQ. FT.	411.00 SQ. FT.	1692.00 SQ. FT.	
4.	THIRD FLOOR	9671.00 SQ. FT.	434.00 SQ. FT.	69.00 SQ. FT.	778.00 SQ. FT.	411.00 SQ. FT.	1692.00 SQ. FT.	
5.	FOURTH FLOOR	9671.00 SQ. FT.	434.00 SQ. FT.	69.00 SQ. FT.	778.00 SQ. FT.	411.00 SQ. FT.	1692.00 SQ. FT.	
6.	FIFTH FLOOR	9671.00 SQ. FT.	434.00 SQ. FT.	69.00 SQ. FT.	778.00 SQ. FT.	411.00 SQ. FT.	1692.00 SQ. FT.	
7.	SIXTH FLOOR	9671.00 SQ. FT.	434.00 SQ. FT.	69.00 SQ. FT.	778.00 SQ. FT.	411.00 SQ. FT.	1692.00 SQ. FT.	
8.	SEVENTH FLOOR	7206.00 SQ. FT.	3472.00 SQ. FT.	552.00 SQ. FT.	6224.00 SQ. FT.	3288.00 SQ. FT.	13336.00 SQ. FT.	63059.00



**RAIN WATER HARVESTING SYSTEM
NOTE - DWG. NOT TO SCALE**

**PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR
ANKIT BUILD ESTATE PVT. LTD. ON PLOT NO. 01 IN
KH. NO. 584 TO 587 AT REVENUE VILLAGE
SHOBHAG PURA , UDAIPUR.**

SCALE-1"=16'-0"

For: ANKIT BUILD ESTATE PVT. LTD.
Authorised Signatory
SIGNATURE

KAPIL JAIN (INTODIA)
Architect & Interior Designer
120, Ground Floor, Leda Complex
Court Chandra, UDAIPUR (Raj)
Council of Architecture Reg. No. 1200313476
UT Reg. No. 14, 12, 11, 10
Ph. No. 9414166959
ARCHITECT

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

क्रमांक : F7(1)B-PLAN/2012 937

दिनांक : 14/3/2013

अंकित बिल्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर
श्री अंकित अग्रवाल पिता श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल
निवासी - फतहपुरा, उदयपुर

संदर्भ : सैंजस्व ग्राम शोभागपुरा के खसरा संख्या 584 से 587 में स्थित
भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 28995 वर्गफीट (2694.70 वर्गमीटर)
पर आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन पत्र क्रमांक 1782 दिनांक 23-05-12 द्वारा राजस्व ग्राम शोभागपुरा के खसरा संख्या 584 से 587 में स्थित भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 28995 वर्गफीट (2694.70 वर्गमीटर) पर आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति चाही गयी थी, जिसके क्रम में प्रकरण प्रन्यास की भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 05-11-12 में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण नियमानुसार होने के कारण समिति द्वारा सर्व-सम्मति से आवासीय फ्लेट्स हेतु नियमानुसार शुल्क लेते हुए आवासीय फ्लेट्स बाबत बेसमेन्ट (पार्किंग) + स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल + सात तल तक भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। अतः समिति निर्णय के क्रम में इस स्वीकृति पत्र के द्वारा बेसमेन्ट (पार्किंग) + स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल + सात तल की निर्माण स्वीकृति जारी की जाती हैं। अतः आप द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र उपरोक्तनुसार निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है।

शर्त :-

1- भूखण्ड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बैक छोड़कर किया जायेगा, जिसमें निर्धारित भवन रेखाओं से आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।

सामने (60 फीट चौड़ी सड़क की तरफ)

- 40 फीट (चालीस फीट)

पीछे

- 30 फीट (तीस फीट)

पार्श्व 1 (40 फीट चौड़ी सड़क की तरफ)

- 30 फीट (तीस फीट)

पार्श्व 2

- 30 फीट (तीस फीट)

2- भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन की एफ ए आर 2.17, आच्छादित क्षेत्र 33.35 प्रतिशत रखते हुए निर्मित होने वाले भवन की ऊँचाई भूतल सहित 80' फीट से अधिक नहीं होगी।

3- भूखण्ड के सामने 60' एवं पार्श्व में एक ओर 40' फीट चौड़ी सड़क स्थित है। उक्त चौड़ाई / मार्गाधिकार में कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

4- भवन के प्रत्येक कमरे, शौचालय, रसोई-घर आदि में हवा व रोशनी की उपर्युक्त व्यवस्था करेंगे तथा मॉडल भवन विनियमों के अनुसार आकार रखेंगे।

83

- 5- भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- 6- भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र में वर्णित शर्तें एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्चा वसूल किया जावेगा।
- 7- यह स्वीकृति इस भूखण्ड पर केवल आवासीय फ्लेट्स निर्माण की स्वीकृति हैं। इसे इस भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा। भूमि का स्वामित्व वैद्य दस्तवेजों के आधार पर ही मान्य होगा। इस भवन मानचित्र स्वीकृति से भूमि / भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस संबंध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होंगे।
- 8- यह स्वीकृति आवासीय फ्लेट्स हेतु बेसमेन्ट (पार्किंग) + स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल + सात तल के भवन निर्माण हेतु ही दी जा रही है। इसके विपरित कोई निर्माण नहीं करें। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 9- भूखण्ड के सामने सीवर लाईन उपलब्ध होने पर सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। तब तक दूषित जल मल की व्यवस्था भूखण्ड के अन्तर्गत ही करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नियमानुसार अपने परिसर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना करना आवश्यक होगा।
- 10- मानचित्र में प्रस्तावानुसार भूखण्ड में न्यूनतम 15 प्रतिशत भाग खुला क्षेत्र लेण्डस्केपिंग / हरियाली हेतु रखना होगा।
- 11- भूखण्ड क्षेत्र में प्रत्येक 100 वर्ग मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे तथा भवन निर्माण में कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- 12- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04-02-10 या अन्य आदेशों / परिपत्रों के नियमानुसार यदि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो तो उक्त अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू करेंगे, जिसकी एक प्रति न्यास को प्रेषित करनी होगी। Environmental Clearance प्राप्त करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 13- प्रार्थी इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन रखें तो इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है।

- 14- यह स्वीकृति जारी तिथि से 20-09-14 तक मान्य है। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं कराने पर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।
- 15- सड़को, खुले स्थान, जन सुविधा एवं पार्किंग हेतु छुड़वाये गये स्थान के स्थल की समर्पण पत्र के अनुसार पलना करनी होगी।
- 16- भूखण्ड क्षेत्र में आंतरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना आदि का कार्य विकासकर्ता द्वारा करवाया जायेगा।
- 17- आवासीय परिसर में 75 वर्गमीटर आवासीय FAR क्षेत्र पर एक समतुल्य कार इकाई की पार्किंग सुविधा आवश्यक करनी होगी। इसके अतिरिक्त आगुन्तकों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त पार्किंग उपलब्ध करानी होगी। इस पार्किंग सुविधा में न्यूनतम 75 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र कार पार्किंग के लिये ही निर्धारित होगा। इसका प्रावधान नियमानुसार परिसर में करना होगा।
- 18- भवन निर्माण / भवन स्वामी द्वारा सैफटी टैंक की सफाई के लिये मानव शक्ति का उपयोग नहीं किया जावेगा एवं Dry latrine का निर्माण भी नहीं करावें।
- 19- स्वीकृत मानचित्र में बेसमेन्ट (पार्किंग) + स्टील्ट (पार्किंग) एवं भूखण्ड के सेटबैक के जिस भाग को पार्किंग उपयोग में दर्शाया गया है, उसके लिये भवन निर्माता द्वारा नगर विकास न्यास, उदयपुर के हक में समर्पण का समर्पण-पत्र तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि भवन निर्माता द्वारा यह भाग किसी को बेचा नहीं जावेगा व इसे केवल पार्किंग उपयोग में लिया जायेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर नगर विकास न्यास बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा-खर्चा संबंधित व्यक्ति जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है, से वसूला जावेगा। बेसमेन्ट (पार्किंग) + स्टील्ट (पार्किंग) एवं पार्किंग के लिये सेटबैक में निर्धारित ऐसा क्षेत्र जिसे प्रन्यास को पार्किंग व्यवस्था हेतु समर्पित किया गया है, उसे प्रन्यास पुनः भवन मालिक को लीज या सालाना किराये पर उसके रख-रखाव व प्रबन्ध हेतु दे सकेगा। प्रत्येक निवास इकाई को कम से कम एक चौपहिया वाहन की पार्किंग चिन्हित कर अधिकृत करना आवश्यक होगा।
- 20- स्वीकृत मानचित्र के बेसमेन्ट (पार्किंग) में इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी कि सतह का पानी बहकर बेसमेन्ट में न घुसे तथा बेसमेन्ट का उपयोग ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु नहीं करेंगे।
- 21- भवन के नीचे नियमानुसार निर्धारित सेटबैक छोड़ते हुए भूतल के आच्छादित क्षेत्र के बराबर बेसमेन्ट (पार्किंग) + स्टील्ट (पार्किंग) का निर्माण किया जा सकेगा। भवन में लिफ्ट के उपबंधों के अनुसार सुविधाएं दी जायेगी तथा भवन में आपतकालीन तथा अन्य व्यवस्थाओं का प्रावधान करना होगा। विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

- 22- विद्युत विभाग के नियमानुसार भूखण्ड के परिसर में ट्रांसफार्मर साईड के सेटबेक में स्थापित किया जाना होगा। भू-स्वामी को इस परिसर में विद्युत कनेक्शन के साथ अर्थ लिकेज सक्रिट ब्रेकर (ईएलसीबी) लगवाना आवश्यक होगा।
- 23- पार्क, खुले क्षेत्र, सड़कों हेतु आरक्षित क्षेत्र संबंधित स्थानीय आर डब्लु ए को संचालन व रख-रखाव के लिए समर्पित करना होगा।
- 24- भवन निर्माण कार्य में भू-कम्परोधी प्रावधानों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आप भवन निर्मात की होगी। भवन निर्माण शुरू करने से पूर्व सक्षम स्ट्रक्चरल इंजिनियर से इस बाबत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर न्यास में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि प्रस्तावित भवन स्ट्रक्चरल दृष्टि से सुदृढ होगा। आप द्वारा निर्मित भवन में किसी भी प्रकार के जन-हानि या धन-हानि हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 25- आग से बचाव के विनियम तथा अग्निशमन उपकरण राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रभावी प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। भवन विनियम के अनुसार आग से बचाव हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भवन में समुचित क्षमता के दो टैंक बनाये जायेंगे, जिसमें एक टैंक अग्निशमन व्यवस्था के पाइपों की प्रणाली से जुड़ा होगा।
- 26- भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रित करने एवं भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने हेतु भवन में स्वीकृत टाईप डिजाईन के अनुसार (संलग्न नक्शों) रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य होगा अन्यथा न्यास द्वारा निर्धारित की जाने वाली शास्ती राशि देय होगी। साथ ही वर्षा जल, ड्रेनेज, सीवरेज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- 27- भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित है, इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। भवन निर्मात अनिवार्य रूप से इस आशय का अनुबन्ध प्रस्तुत करेगा कि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निशमन एवं पर्याप्त वातयन की व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार की गई हैं। इसके पश्चात ही भवन उपयोगित प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। भवन का उपयोग करने से पूर्व न्यास से उपयोगित / अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 28- भवन में आपतकालीन, अग्निशमन आदि के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे। अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर का गलियारा भवन के चारों ओर उपलब्ध कराना होगा।
- 29- सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर 02 कचरापत्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पत्र 1.33 क्यूबिक मीटर का बायोडिग्रेडेबल तथा 0.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पत्र नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।
- 30- प्रस्तावित भवन में सौर उर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र एवं प्रणाली

8

“ब्यौरो ऑफ इण्डिया स्टैण्डर्स” (आई. एस. 12933/13129 एवं 12976) के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिये।

- 31- श्रम विभाग को देय सेस राशि रुपये 719033/- अक्षरे सात लाख उन्नीस हजार तैंतीस रुपये आप द्वारा जरिये चालान दिनांक 02-03-13 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, कोषालय शाखा, टाउन हाल, उदयपुर में “संयुक्त श्रम आयुक्त वास्ते सचिव, राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, उदयपुर” के नाम जमा करवा दिये गये हैं, जिसकी दो प्रतियां आप द्वारा न्यास में प्रस्तुत कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त और कोई राशि देय होने पर आप समय पर श्रम विभाग में जमा करायेगें तथा इस राशि को जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
- 32- आवेदक द्वारा भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जावेगा, जिसमें अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जावेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
- 33- अनुज्ञाधारी द्वारा भवन निर्माण में न्यास के भवन विनियम तथा राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा।
- 34- उक्त भवन के प्रत्येक ब्लॉक में Fire Escape हेतु अतिरिक्त सीढ़ियों का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा तथा भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर का गलियारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 35- यह अनुज्ञा प्राप्ति के बाद अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने के आशय की सूचना वांछित प्रपत्र में निम्नहस्तक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी सूचना दिये जाने के सात दिवस बाद अनुज्ञाधारी निर्माण कार्य आरम्भ कर देगा।
- 36- भूखण्ड में योजना क्षेत्र में भविष्य में बनायी जाने वाली नालियों के निर्माण के स्तर को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड की प्लिन्थ रखी जाये।
- 37- प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेंगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित मानचित्र के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
- 38- प्लिन्थ लेवल से ऊपर भूतल + प्रथम तल तक निर्माण के पश्चात् न्यास को सूचित करना होगा, जिसकी जांच संयुक्त रूप से संबंधित अधिशाषी अभियन्ता / सहा. अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक के स्तर पर की जाने के पश्चात् आगे का निर्माण जारी रखेंगे।
- 39- भवन के लिये अन्य उपबन्ध तथा विनियम जो यहां सम्मिलित नहीं हैं, वे ऐसे होंगे कि राष्ट्रीय भवन संहिता में तथा विनियमों / नियमों, भवन उपविधियों में विहित किये गये हैं।

- 40- अनुमोदित मानचित्र में जो प्रस्तवित निर्माण अस्वीकृत किया गया हैं, उसका निर्माण नहीं करें।
- 41- राज्य सरकार / न्यास द्वारा अन्य कोई भी शर्त लगाई जाती हैं तो उसकी पालना करना अनिवार्य होगा।
- 42- उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न : उपरोक्तनुसार नक्शे

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, उदयपुर।
- 2- तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
- 3- बिक्री शाखा / भूमि रूपन्तरण शाखा / नियमन शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
- 4- सम्बन्धित सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता, न्यास, उदयपुर।

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर